

न्यायालय : सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रेक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं० : 88/2023

अनवान :

किरणवाला पत्नी स्व० भरतसिंह जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा।

:- दादी

### वनाम


1. देईराम पुत्र मेहरचंद जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा।
2. मनीराम पुत्र देईराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा।
3. धर्मपाल पुत्र देईराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा।
4. अजयकुमार पुत्र भरतसिंह पुत्र देईराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलेक्टर फास्ट-ट्रेक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री दलवीर वैनीवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री प्रहलाद की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी आंशिक साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा शिवदानपुरा के खाला सं० 49/37 के खसरा सं० 209 की 0.2660है०, ख०सं० 225/2 की 3.2630है०, ख०सं० 319 की 0.1010है०, ख०सं० 320/2 की 2.5920है०, ख०सं० 350/2 की 2.5540है० कुल 8.7780है० बरानी प्रतिवादी सं० 1 देईराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादभूमि के खसरा सं० 209 की 0.2660है० व ख०सं० 319 की 0.1010है० कुल 0.3670है० वादभूमि पेटुक साबित नहीं होने के कारण प्रतिवादी सं० 1 देईराम के नाम यथावत रखी जाती है तथा ख०सं० 225/2 की 3.2630है०, ख०सं० 320/2 की 2.5920है०, ख०सं० 350/2 की 2.5540है० कुल 8.4090है० वादभूमि में प्रतिवादी सं० 1 देईराम अकेले की बजाए वादीया व प्रतिवादी सं० 4 को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं० 1 ता 3 प्रत्येक को 1/4 हिस्सा के खातेदार घोषित किये जाते हैं। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह आंशिक पर्चा डिक्री आज दिनांक 27.06.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



  
(शकुन्तला चौधरी) R.A.S.  
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनुमानगढ़)  
सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रेक)  
भादरा, जिला हनुमानगढ़